अर्जुन मुण्डा
मुख्यमंत्री, झारखण्ड

झारखण्ड सरकार

उद्योग विभाग

वार्षिक कार्य प्रतिवेदन
2011–2012

उपलब्धि

11वीं पंचवर्षीय योजना का उदव्यय– 70230.00 लाख

(राशि लाख रु0 में)

क्र0	वित्तीय वर्ष	उद्व्यय	व्यय
1	2	3	4
1	2007–08	14046.00	8821.59
2	2008–09	11488.15	9279.09
3	2009–10	17330.00	13253.01
4	2010–11	12800.00	12261.41(अनुमानित)

- राज्य में स्टील का उत्पादन 8 मिलियन टन से बढ़कर 12 मिलियन टन हो गया है।
- तसर रेशम का उत्पादन वर्ष 2009–10 में 406 मेट्रिक टन से बढ़कर 2010–11 में 716 मेट्रिक टन होगा।
- नियोजन – राज्य बनने के बाद उद्योग में करीब 63000 लोगों को नियोजन मिला है।
- स्वनियोजन के लिए प्रशिक्षण –

क्र0	प्रक्षेत्र	11वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत स्वनियोजन हेतु प्रशिक्षण	
		2009–10 तक	2010–11
1	2	3	4
1	रेशम प्रक्षेत्र	15800	8000
2	हस्तकरघा	4837	2222
3	हस्तशिल्प	6311	7380
4	कोकुन बैंक की संख्या क्षमता –	10 700.00 लाख	07 250.00 लाख
5	बीजागारों की संख्या क्षमता –	64 8000.00 लाख	40 5000.00 लाख

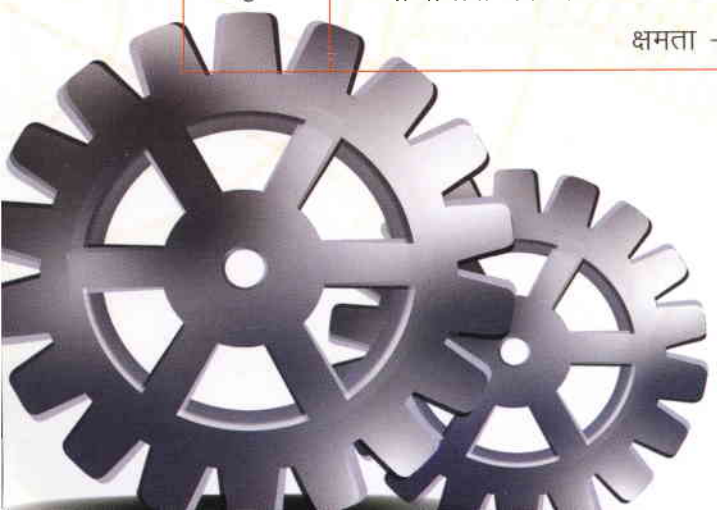

प्रस्तावना

राज्य के सृजन के पश्चात् राज्य में समग्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन हेतु उद्योग विभाग निरन्तर प्रयत्नशील है।

2. वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक है एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति वर्ष तक राज्य सरकार की यह दृष्टि है कि झारखण्ड में एक सुदृढ़ एवं diversified (बहु–आयामी) औद्योगिक आधार हो जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो सके। सरकार का यह प्रयास है कि अधिक से अधिक पूँजी निवेश को आकर्षित किया जाय ताकि झारखण्ड औद्योगिक रुप से एक सशक्त राज्य के रुप में देश में अपनी पहचान बना सके। राज्य सरकार के द्वारा खनिज आधारित उद्योगों यथा–इन्टीग्रेटेड स्टील प्लान्ट, कैप्टिव पावर प्लांट, सीमेन्ट प्लांट एवं अल्युमीनियम प्लांट आदि की स्थापना हेतु MOU किया गया है जिसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना में अबतक 12 मेगा औद्योगिक इकाईयों के साथ MOU किया गया है जिसमें 41140.00 करोड़ रुपये का पूँजीनिवेश प्रस्तावित है। अब तक हस्ताक्षरित MOU में से कुल 20 रद्द किये गये हैं। कुल 14 मेगा क्षेत्र की इकाईयों के द्वारा उत्पादन प्रारंभ किया गया है जिसमें 23554.98 करोड़ रु0 का पूंजीनिवेश है। इसके अतिरिक्त 13 इकाईयों का कार्य प्रगति पर है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य में स्टील उत्पादन 8 मिलीयन टन से बढ़कर 12 मिलीयन टन हो गया। अब तक कुल पूंजीनिवेश रू0 66540.81 करोड़ का किया जा चुका है। यह प्रक्रिया सतत जारी है।

झारखण्ड सृजन के उपरान्त पूंजीनिवेश

क्र0	प्रक्षेत्र	संख्या	पूंजीनिवेश (करोड़ रुपये में)	नियोजन
1	2	3	4	5
1	सूक्ष्म लघु उद्योग	18109	384.29	50915
2	वृहत एवं मध्यम उद्योग	106	2748.06	8318
3	मेगा उद्योग	26	25291.71	3953
4	मेगा उद्योग (कार्यान्वयन में)	12	9232.75	–
5	नई विद्युत परियोजना (कार्यान्वयन में)	4	28884.00	–

3. राज्य सरकार इस बात के लिए कृत संकल्प है कि राज्य में बड़े औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु सभी आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाए एवं पूँजीनिवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य में अनुकूल माहौल बनाया जाए। वर्ष 2015 तक राज्य में स्टील उत्पादन 25 मिलियन टन हो जायगा।

4. राज्य में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने एवं तकनीकी कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राँची एवं दुमका में मिनी टूल रुम की स्थापना की गयी है। दोनों टूल रुम में चार वर्षीय डिप्लोमा में शैक्षणिक कार्य चल रहा है तथा

प्रथम बैच के छात्रों का नियोजन विभिन्न कम्पनियों में प्राप्त हो रहा है। राँची टूल रुम के प्रथम बैच का प्लेसमेंट टाटा मोटर्स, टाटा कमिन्स गेब्रियल एवं अन्य कम्पनियों में हो चुका है।

5. 11वीं पचवर्षीय योजना का आगामी वित्तीय वर्ष 2011–2012 अन्तिम वर्ष है। गत चार वित्तीय वर्षों में विभाग के द्वारा औद्योगिक विकास के लिए किये गए प्रयास का परिणाम है कि तसर रेशम उत्पादन में राज्य देश का अग्रणी राज्य है। 11वीं पचवर्षीय योजना में अब तक तसर उत्पादन 1550 मि0 टन हुआ है। सिल्क की गुणवत्ता को अन्तर्राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए राज्य में उत्पादित तसर रेशम का Organic Certification कराया गया है। झारखण्ड राज्य यह सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला एकलौता राज्य है एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्था, Onecert, USA द्वारा प्रदत्त यह प्रमाणन पूरे दुनिया में मान्य है। रेशमी वस्त्रों की गुणवत्ता एवं डिजाईन विकसित करने के लिए NIFT, Kolkata, NID, Ahmedabad एवं Apparel Export Promotion Council की मदद से राज्य में तीन प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये गये हैं।

(ख) वर्ष 2010–11 में जिलावार कोकुन उत्पादन

क्र0	जिला	कीटपालकों की संख्या	कोए (लाख में)	रॉ सिल्क (मे0टन में)	रीलर / कातकों की संख्या	अग्र परियोजना केन्द्रों की सं0	कोकुन बैंक की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सरायकेला–खरसावाँ	6570	595.68	65.52	900	3	5
2	पश्चिमी सिंहभूम	15925	2096.36	230.60	180	9	3
3	पूर्वी सिंहभूम	2301	55.73	6.13	270	2	2
	योग कोल्हान क्षेत्र	**24796**	**2747.77**	**302.25**	**1350**	**14**	**10**
4	दुमका	13800	1868.63	205.55	0	7	0
5	साहेबगंज	2000	172.53	18.98	450	2	2
6	पाकुड़	2000	192.89	21.22	0	2	0
7	गोड्डा	4000	300.32	33.04	210	1	3
	योग संथाल परगना क्षेत्र	**21800**	**2534.37**	**278.79**	**660**	**12**	**5**
8	गिरिडीह / चतरा / हजारीबाग	9986	969.52	106.65	60	5	1
9	धनबाद	2198	102.84	11.31	60	1	0
	योग गिरिडीह क्षेत्र	**12184**	**1072.36**	**117.96**	**120**	**6**	**1**
10	गढ़वा	1000	26.78	2.95	30	1	0
11	पलामू	1235	83.28	9.16	30	1	0
12	राँची / खूँटी / गुमला	1831	6.35	0.70	150	4	1
13	सिमडेगा	700	15.83	1.74	30	1	0
14	लोहरदगा	1567	25.14	2.76	0	1	0
	योग राँची क्षेत्र	6333	157.38	17.31	240	8	1
	कुल योग	**65113**	**6511.87**	**716.31**	**2370**	**40**	**17**

(ग) **रेशम का विकास** : रेशम के विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2009–10 तक भौतिक उपलब्धि निम्नवत् हैः

क्र0	उत्पादित सामग्री	मात्रा
1	तसर	843.37 मे0टन
2	न्यूकिलियस रो0मु0च0	4.39 लाख
3	बेसिक रो0मु0च0	31.76
4	वाणिज्यिक रो0मु0च0	189.64 लाख
5	कोकुन उत्पादन	7163.65 लाख
6	रेशम उत्पादकों को प्रशिक्षण	15800

आधारभूत संरचना के विकास हेतु 51 सामान्य सुलभ केन्द्र, 08 कोकुन बैंक एवं 64 बीजागार भवन का निर्माण किया गया।

6. हस्तशिल्प के विकास की असीम संभावनाओं को देखते हुए बड़े पैमाने पर महिलाओं को संगठित कर हस्तशिल्प के विभिन्न विधाओं यथा– काथा स्टीच, जरदोजी, पेपरमेसी, ट्राईबल पेंटिग, टेराकोटा ज्वेलरी एवं पोट्रीज, लाह चूड़ी एवं आभूषण, धोकरा, चमड़े के उत्पाद, जूट के बैग आदि में प्रशिक्षित किया जा रहा है। हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा निर्मित वस्तुओं के विपणन के लिए राज्य सरकार ने JHARCRAFT के नाम से एक निगम का गठन किया है।

(ख) झारक्राफ्ट का उद्देश्य रेशम, हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प से जुड़े व्यक्तियों को प्रशिक्षित कराना और कच्चामाल एवं बाजार के अनुसार डिजाईन उपलब्ध कराना एवं विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

(ग) वित्तीय वर्ष 2006–07 में मुख्य रूप से झारक्राफ्ट ने उत्पादन केन्द्रों को व्यवस्थित करने का कार्य किया एवं पहला इम्पोरियम राँची के रोस्पा टावर में 06 सितम्बर 2007 को खोला गया। दुमका, हजारीबाग, गिरीडीह, बंगलोर, कोलकाता, पुणे, दिल्ली एवं मुबई में भी इम्पोरियम खोला गया है। वर्त्तमान में झारक्राफ्ट तीन वर्षीय 35 कलस्टर विकास की योजनाओं एवं 90 ग्रूप एप्रोच योजनाओं को बुनकरों के लिए लागू कर रहा है। इसके अतिरिक्ति 1996 से मृतप्राय 100 से अधिक प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियों को पुनर्जीवित करने का कार्य कर चुका है।

(घ) हस्तशिल्प में 25000 से अधिक महिलाओं को विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षित किया गया है एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में झारक्राफ्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।

(ड.) झारक्राफ्ट के द्वारा चलाये जा रहे कार्यों को देखने के लिए छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, प0 बंगाल, बिहार एवं उड़िसा के पदाधिकारी आते रहे हैं।

(च) झारक्राफ्ट ने Export-Import Code प्राप्त कर लिया है एवं अब विदेशों में सीधे एक्सपोर्ट करना शुरू किया है।

(छ) झारक्राफ्ट Internet के माध्यम से Online marketing का कार्य भी कर रहा

है और झारक्राफ्ट पिछले दो वर्षों से लाभ अर्जित कर रहा है।

(ज) झारक्राफ्ट द्वारा कार्यान्वित हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प से संबंधित आंकड़े निम्नवत् हैं:–

क्र0	जिला	हस्त शिल्पियों की सं0	हैण्डलूम कलस्टर की सं0	हैण्डलूम ग्रूप की सं0	प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियों की सं0	कुल बुनकरों की सं0
1	कोडरमा	1870	–	–	–	–
2	हजारीबाग	12510	–	05	04	180
3	लोहरदगा	700	01	01	01	390
4	गुमला	615	–	01	–	20
5	सिमडेगा	305	01	–	–	300
6	सिहभूम पश्चिमी	120	–	01	01	40
7	सिंहभुम पूर्वी	240	01	01	01	340
8	राँची	3685	07	37	40	4400
9	सरायकेला–खरसावॉ	1340	–	–	–	100
10	लातेहार	125	01	03	03	560
11	घनबाद	180	–	01	03	80
12	रामगढ	1275	01	18	12	900
13	चतरा	70	–	–	01	20
14	देवघर	195	05	–	02	1540
15	दुमका	370	01	02	07	710
16	गोड्डा	100	07	13	17	5150
17	खूँटी	150	01	01	01	340
18	जामताड़ा	160	–	–	–	–
19	पलामू	880	04	02	02	1680
20	गिरिडीह	610	–	–	–	40
21	साहेबगंज	–	03	01	02	1380
22	गढ़वा	–	01	–	–	300
23	पाकुड़	–	01	–	–	300
24	बोकारो	–	–	04	04	160
	योग	**25500**	**35**	**90**	**101**	**18930**

(झ) **हस्तशिल्प का विकास योजना** : हस्तशिल्प विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2009–10 तक कुल 6311 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।

7. झारक्राफ्ट ने न सिर्फ अपने राज्य के **हस्तकरघा** के विकास के क्षेत्र में योगदान किया है। बल्कि छत्तीसगढ़ के चापा तसर कलस्टर विकास के लिए डिजाईन कनसलटेंट के रूप में कार्य कर रहा है। जिन्दल पावर एवं स्टील लि0 तथा टाटा स्टील के लिए CSR के अन्तर्गत हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा में प्रशिक्षण दे रहा है।

(ख) झारक्राफ्ट के प्रयास को भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने सराहनीय कार्य बतलाया है एवं इसे योजना आयोग को भी अवगत कराया है।

(ग) झारखंड राज्य में केन्द्र प्रायोजित समेकित हस्त्करघा विकास योजना की सफलता के संबंध में अपर विकास आयुक्त, विकास आयुक्त (हथकरघा) का0– वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक 1/21/Jharkhand/ cluster/2007/ IHDC/meeting दिनांक 28.04.2010 द्वारा निम्नांकित महत्वपूर्ण टिप्पणी की है जिसका अंश अंकित है :–

(i) "Bhagaiya Cluster is the best performed cluster. This cluster had constructed guest house for designer from their own fund. This cluster is about to start- One English medium school and also have proposal to set up hospital as in the remote cluster medical facilities are off primitive type."

(ii) "In the State young people are also attracted to do weaving as against many other state where weaving is primarily done by older ones. Now, non-weaving communities also attracted towards weaving activities. This is another characteristic of revival of weaving industries of the state."

(iii) "Timely release of fund to IA is termed as one of the reason for the successful implementation of cluster intervention in the state."

(iv) "IA has felt that appointment of CDE 's is key to the success of cluster intervention. Hence, Jharcraft obtain special state approval for the appointment of CDE's."

(v) "Hence convergence of different schemes and co-ordinated efforts by different agencies of textile related activities are also responsible for commendable performance of the state in the handloom sector."

(घ) राज्य में अवस्थित रेशम/बुनकर एवं हस्तशिल्प केन्द्रों की सं0–

क्र0	जिला	रेशम केन्द्रों की सं0	बुनकर केन्द्रों की सं0	हस्तशिल्प प्रशिक्षण केन्द्रों की सं0
1	खूँटी	01	–	01
2	हजारीबाग	01	–	01
3	राँची	02	01	01
4	पलामू	01	–	01
5	घनबाद	01	–	01
6	देवघर	01	01	01
7	दुमका	07	01	01
8	जमशेदपूर	–	01	01
9	प0 सिंहभूम	09	–	–
10	पूर्वी सिंहभूम	02	01	–
11	सरायकेला–खरसावॉ	03	–	–
12	गुमला	01	01	–
13	लोहरदगा	01	–	–
14	सिमडेगा	01	–	–

क्र0	जिला	रेशम केन्द्रों की सं0	बुनकर केन्द्रों की सं0	हस्तशिल्प प्रशिक्षण केन्द्रों की सं0
15	गढ़वा	01	–	–
16	चतरा	01	–	–
18	गिरीडीह	02	–	–
19	गोडडा	01	–	–
20	साहेबगंज	02	–	–
21	पाकुड	02	–	–
	योग	**40**	**06**	**08**

(ड.) झारक्राफ्ट द्वारा राज्य के बुनकर समितियों/समूहों/हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित वस्त्रों/ उत्पादों/सामग्री के क्रय–विक्रय का विवरण

1. झारक्राफ्ट द्वारा राज्य के बुनकर समितियों/समूहों/हस्तशिल्पियों से क्रय किये गये वस्त्र/ सामग्री का विवरण

क्र0	वित्तीय वर्ष	क्रय किये गये वस्त्रों की कीमत (राशि लाख में)	क्रय किये गये हस्तशिल्प सामग्रियों की कीमत (राशि लाख में)
1	2007–08	80.59	26.50
2	2008–09	245.57	65.58
3	2009–10	468.31	72.04
4	2010–11 (अद्यतन)	499.27	100.75
	योग	**1293.74**	**264.87**

(च)

2. झारक्राफ्ट द्वारा राज्य के बुनकर समितियों/समूहों हेतु क्रय किये गये धागा का विवरण

क्र0	वित्तीय वर्ष	क्रय किये गये धागों की कीमत (राशि लाख रु0 में)
1	2007–08	2.81
2	2008–09	109.94
3	2009–10	529.12
4	2010–11 (अद्यतन)	284.93
	योग	**926.80**

(छ)

3. झारक्राफ्ट द्वारा राज्य के बुनकर समितियों / समूहों / हस्तशिल्पियों द्वारा बनाये गये विविध उत्पादों के विक्री का विवरण		
क्र0	वित्तीय वर्ष	क्रय किये गये धागों की कीमत (राशि लाख में)
1	2007–08	48.58
2	2008–09	222.07
3	2009–10	653.58
4	2010–11	743.28
	योग	**1667.51**

(ज) **हस्तकरघा विकास योजना** :– हस्तकरघा विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2009–10 तक की उपलब्धि निम्नवत् है :–

क्र0	प्रशिक्षण का प्रकार	संख्या
1	उन्नत प्रशिक्षण	4837
2	बेसिक प्रशिक्षण	432
3	स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभुक	25677
4	समेकित हस्तकरघा विकास योजना के लाभुक	3050

8. राज्य सरकार ने **बुनकरों, शिल्पियों एवं महिलाओं को स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा** भी उपलब्ध करायी है। 50000 महिला रेशम कृषकों को **स्वास्थ्य बीमा योजना** का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है।

9. **झारखण्ड राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड** की स्थापना 17 दिसम्बर, 2004 को हुई है। स्थापना के उपरान्त इस बोर्ड के द्वारा कई उपलब्धियाँ हासिल की गयी है।

क्र.	प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र का नाम	स्थापना का वर्ष	टर्न ओवर (राशि लाख रूपये में)			लाभुकों की संख्या
			2007–08	2008–09	2009–10	
1	कुचाई	2005–06	7.06	8.20	12.96	750
2	चाण्डिल	2007–08	1.85	4.34	16.72	1050
3	गढ़वा	2007–08	0.36	0.89	0.78.	300
4	हरिहरगंज (डालटेगंज)	2009–10	–	–	0.71	125
5	डालटेनगंज	2009–10	–	–	0.19	75
6	देवघर	2009–10	–	–	1.10	100
7	भगैया (गोड्डा)	2010–11	–	–	0.25*	40*
8	मॉर्डन रेडिमेड गारर्मेन्ट प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र, जमशेदपुर	2010–11	–	–	1.50*	50*
	योग		**9.27**	**13.43**	**34.21**	**2490**

* क्रमांक 7 एवं 8 के आँकड़े दिसम्बर 2010 (2010–11) तक के हैं।

(ख)

क्र.	झारखण्ड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग वातानुकुलित भोरुम सह कार्यालय	आरम्भ करने का वर्ष	टर्न ओवर राशि लाख रूपये में		
			2007–08	2008–09	2009–10
1	जमशेदपुर	2005–06	40.73	109.87	96.02
2	रियाडा भवन, रांची	2005–06	24.32	20.99	18.09
3	हजारीबाग	2006–07	8.21	7.29	6.32
4	झुमरी तिलैया, कोडरमा	2006–07	8.43	12.76	9.64
5	बोकारो	2007–08	16.59	13.53	20.70
6	बाबा खड़ग सिंह मार्ग, नई दिल्ली	2007–08	2.09	11.61	9.49
7	गढ़वा	2007–08	0.22	–	6.25
8	धुर्वा रांची	2010–11	–	–	3.00*
	योग		**100.59**	**176.05**	**169.51**

क्रमांक 8 की बिक्री दिसम्बर 2010 (2010–11) तक की है।

(ग) राज्य सरकार के सहयोग से **शिल्पी रोजगार योजनान्तर्गत** लगभग 3000 शिल्पियों को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण देकर 90% अनुदान पर अधिकतम 20,000=00 रूपये तक का मशीन, उपकरण, कच्चा माल, आदि मुहैया कराते हुए स्वनियोजन कर इनके उत्पादों के विपणन की व्यवस्था करायी गयी।

(घ) राज्य में समान उद्देश्य के लिये कार्यरत विभिन्न इकाइयों (विभागों) से एक साथ मिलकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु केन्द्रीय सरकार के डाक विभाग, नाबार्ड एवं भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ एम0 ओ0 यू0 किए गये। डाकघरों में खादी कर्मियों/कार्यकर्त्ताओं का बचत खाता खोल कर एक लाख रूपये का बीमा कराया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिल्पियों के कौशल उन्नयन निमित नाबार्ड के सहयोग से प्रशिक्षण आरम्भ कर दिया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से बोर्ड द्वारा खादी कर्मियों/कार्यकर्त्ताओं को बीमा योजनाओं से लाभान्वित कराने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

(ड.) राज्य खादी बोर्ड को **सर्वश्रेष्ठ खादी बोर्ड** होने का राष्ट्रीय पुरस्कार 31 अगस्त 2010 को महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय खादी हस्तशिल्प एवं सरस महोत्सव का आयोजन दिसम्बर 2010 में सफलतापूर्वक राँची में किया गया।

10. **प्रधानमंत्री ग्रामीण सृजन कार्यक्रम** : बेरोजगार युवक युवतियों को इस योजना के तहत स्वरोजगार हेतु बैंको के माध्यम से वित्त पोषण किया जाता है। जिसकी उपलब्धि निम्नवत् है :–

क्र0	वर्ष	योजना का नाम	लक्ष्य संख्या	ऋण स्वीकृत मामले		ऋण वितरित मामले	
				संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	2007–08	प्रधानमंत्री रोजगार योजना	7700	5814	6739.00	4777	4081.65
2	2008–09	प्रधानमंत्री रोजगार ग्रामीण सृजन कार्यक्रम	789	425	2072.02	344	835.09

क्र0	वर्ष	योजना का नाम	लक्ष्य संख्या	ऋण स्वीकृत मामले		ऋण वितरित मामले	
				संख्या	राशि	सख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
3	2009–10	प्रधानमंत्री रोजगार ग्रामीण सृजन कार्यक्रम	789	921	4863.44	793	1793.14
4	2010–11	प्रधानमंत्री रोजगार ग्रामीण सृजन कार्यक्रम	1116	1109	5110.95	956	2235.95
	योग		**10394**	**8269**	**18785.41**	**6870**	**8945.83**

11. **अपैरल ट्रेनिंग एण्ड डिजाईन सेन्टर** : अपैरल एक्सपोर्ट प्रोमोशन कॉन्सिल के सहयोग से वर्ष 2007 में अपैरल ट्रेनिंग एण्ड डिजाईन सेन्टर की स्थापना इरबा, राँची में की गयी है। रॉची शहर से दूर होने के कारण कठिनाईयों को देखते हुए नामकुम औद्योगिक क्षेत्र अवस्थित रियाडा भवन में 12000 वर्गफीट भवन आवंटित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। ट्रेनिंग सेन्टर में 10 पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। जिसके लिये योग्यता 10वीं से स्नातक है तथा पाठ्यक्रम की अविध 3 माह से 2 वर्षों की है। इस प्रशिक्षण केन्द्र के गठन से कुल 622 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है जिसमें से 105 प्रशिक्षितों को देश के अच्छे अपैरल उद्योग में रोजगार मिला है तथा लगभग 500 प्रशिक्षित स्थानीय रोजगार से जुड़े हैं।

12. **औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार** : राज्य में अवस्थित औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार आदित्यपुर/बोकारो/राँची में 11वीं पंचवर्षीय योजना में 18 उद्योगों की स्थापना की गयी। जिसमें 310 व्यक्तियों को रोजगार मिला एवं 823.48 करोड़ रुपये निवेश किया गया।

राज्य में एम0एस0एम0ई0 के अन्तर्गत 2742 इकाईयों की स्थापना की गयी। जिसमें 22021 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ एवं 37684.027 लाख रु0 निवेश किया गया।

13. राज्य में औद्योगिक, खादी, रेशम की प्रगति होने का मुख्य आधार निम्न सरकारी नीतियाँ एवं कार्यक्रम रहा है :–

i) झारखण्ड औद्योगिक नीति–2001 का कार्यान्वयन 31.03.2011 तक अवधि विस्तार एवं इसके कार्यान्वयन हेतु निर्गत अधिसूचना।

ii) पुनर्वासनीति।

iii) स्वैच्छिक भू–अर्जन हेतु झारखण्ड स्वैच्छिक भू–अर्जन नियमावली–2010 को लागू करना।

iv) जिला प्रशासन एवं उद्योग ग्रुप द्वारा रैयतों से बाजार मूल्य पर भूमि क्रय में आपसी समन्वय।

v) राज्य स्तर पर प्रभावी अनुश्रवण (monitoring) एवं समन्वय।

vi) राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार कार्यशाला, उद्योग मेलो, क्राफ्ट मेला, पूंजीनिवेश मेला का आयोजन एवं सहभागिता।

vii) पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया जिसके तहत अधिसूचना के द्वारा पर्यटन

विभाग द्वारा भुगतान किया जाता है।

viii) स्वास्थ्य सेवा को उद्योग का दर्जा दिया गया है।

ix) स्थानीय उद्योगों को कच्चे माल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए माईनिंग लीज देना/माइन्स से कच्चे माल का लिंकेज की व्यवस्था।

x) शिल्पियों, बुनकरों एवं रेशम कीटपालकों को backward एवं forward linkages प्रदान करने हेतु झारक्राफ्ट की स्थापना राज्य सरकार के सहयोग से की गई है। देश के विभिन्न शहरों में Jharcraft Emporium की स्थापना।

xi) मेगा फूड पार्क की भूमि सब लीज करने हेतु विशेष रियायत दिया जा रहा है ताकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिले एवं कृषि उत्पादों का मूल्यवर्द्धन हो।

xii) खादी एवं ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए "जोहार" विपणन श्रृंखला विकसित की गयी है तथा विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

xiii) उद्योगों के क्षमता विकास एवं विस्तार हेतु कलस्टर विकास की योजना पर अमल किया जा रहा है।

xiv) पी0पी0 मॉडल पर परियोजना का विकास करना।

xv) प्री–कोकून गतिविधि को RKVY के तहत कृषि का दर्जा देना।

xvi) भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं यथा समेकित हस्तकरघा विकास योजना, कलस्टर विकास योजना, एसाइड, बुनकरों के स्वास्थ्य बीमा योजना तथा महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजनाओं का कार्यान्वयन।

xvii) राज्य सकरार द्वारा आधारभूत संरचना, विभिन्न सेक्टर के उद्यमी/शिल्पी इत्यादि को वित्तीय सहयोग विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान करना।

14. विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएँ

(क) **मेगा फूड पार्क** – भारत सरकार की मेगा फूड पार्क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत रुपये 107.00 करोड़ की योजना हेतु राँची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के गेतलसूद औद्योगिक क्षेत्र में 56 एकड़ भूखण्ड आवंटित की गयी है। इस योजना में लगभग 32 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए जायेंगे। मेगा फूड पार्क का केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र गेतलसूद में होगा तथा प्रारंभिक प्रसंस्करण केन्द्र लोहरदगा, गुमला, हजारीबाग, बेलचम्पा, पतरातू एवं अन्य स्थानों में प्रस्तावित है। इस परियोजना से लगभग 5700 लोगों को प्रत्यक्ष एवं 10000 लोगों को अप्रत्यक्ष नियोजन मिलने की संभावना है।

इस परियोजना को संभाव्य रुप से कार्यरत करने हेतु भूमि के सबलीज का अधिकार देने पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

(ख) **कलस्टर विकास की योजना** – उद्योगों को कलस्टर के रुप में चिन्हित् कर विकसित करने की योजना पर राज्य सरकार कार्य कर रही है। कलस्टर मैपिंग कर 56 कलस्टरों को चिन्हित किया गया है। आदित्यपुर ऑटो कलस्टर की स्वीकृति 65.00 करोड़ की लागत पर आई0आई0यू0एस0 योजना के अन्तर्गत प्राप्त किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा इस कलस्टर के लिए 6.53 करोड़ की राशि तीन किस्तों में दिये जाने की

स्वीकृति दी गयी है। प्रथम किस्त रु0 2.18 करोड़ वित्तीय वर्ष 2010–11 में दी गयी है। राज्य में रिफ्रैक्ट्री कलस्टर धनबाद एवं मिनी सीमेन्ट कलस्टर रामगढ़ के soft intervention के लिए भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त है एवं इस वित्तीय वर्ष में यह कार्य पूर्ण किया जा रहा है। इन दोनों कलस्टरों का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन विशेष प्रयोजन कम्पनी से तैयार कराकर कार्यान्वित किया जाएगा। हैण्डटूल कलस्टर, भेन्डरा के लिए संभाव्यता प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। अगले वित्तीय वर्ष में कम से कम 05 अन्य कलस्टरों के विकसित करने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

(ग) **बरही ग्रोथ सेन्टर** – बरही ग्रोथ सेन्टर को लोक निजी भागीदारी के आधार पर विकसित करने हेतु राँची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के द्वारा निविदा प्रकाशित कर अभिव्यक्ति की अभिरुचि प्रकाशित कर इच्छुक प्रमोटर को चिन्हित किया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु एन.एच.–2 के समीप करीब 375 एकड़ भूमि उपलब्ध है। अगले वित्तीय वर्ष में कार्यान्वयन प्रारम्भ हो जायगा।

(घ) **शहीद निर्मल महतो झारखण्ड रेशम प्रशिक्षण संस्थान, भगैया, गोडड्डा** –

संथालपरगना क्षेत्र के बुनकरों के लिए कौशल उन्नयन, उन्नत बुनाई का प्रशिक्षण, नए डिजाईन के वस्त्र निर्माण का प्रशिक्षण, मूल्य वद्वति वस्त्र निर्माण का प्रशिक्षण, डाबी/ जकार्ड के परिचालन का प्रशिक्षण एवं रीलर्स/स्पीनर्स का प्रशिक्षण कराया जा रहा है।

इस संस्थान से 3000 से अधिक बुनकरों को उन्नत बुनाई में प्रशिक्षित किया गया है। डॉबी एवं जकार्ड में प्रशिक्षित कर नये–नये डिजाइन तैयार किये जा रहे हैं। NID, Ahemadabad के सहयोग से शहीद निर्मल महतो, प्रशिक्षण संस्थान, भगैया गोडड्डा में चलाया जा रहा है। राँची में NID की स्थापना का कार्य प्रगति पर है तथा देवघर में NID स्थापित करने हेतु भारत सरकार से स्वीकृति की मांग की गयी है। उत्पादित वस्त्रों के विपणन की सुविधा झारक्राट के माध्यम से दी जा रही है।

(ड.) **झारखण्ड राज्य में ककुन बैंक की स्थापना**

झारखण्ड राज्य में तसर कोए का उत्पादन प्रचूर आय में होता है। इसका धागाकरण राज्य में नहीं होने के कारण तसर कोए अन्य राज्यों में चला जाता था (यथा भागलपुर, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आदि)।

विगत चार वर्षों से राज्य में सामान्य सुलभ केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में धागाकरण किया जाता है। वाणिज्यिक तसर कोए की उपलब्धता नवम्बर से जनवरी माह तक होता है। इस वक्त में ही कोवा खरीद कर इसे ककुन बैंक में सुरक्षित रखा जाता है। और धागाकरण सालों भर चलता रहता है। इससे ग्रामीण महिलाओं को सालों भर रोजगार उपलब्ध होता है। महिलाएँ 4000–5000 रूपए तक प्रत्येक माह आय कर लेती है। धागा का बाजार व्यवस्था एवं तकनीक झारक्राफ्ट द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। राज्य में 15 ककुन बैंक की स्थापना की जा चुकी है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

		क्षमता (लाख में)	
1.	सरायकेला–खरसावाँ	5	– 250 लाख
2.	पश्चिम सिंहभूम	3	– 150 लाख
3.	पूर्वी सिंहभूम	2	– 150 लाख
4.	रॉची	1	– 50
5.	गोडड्डा	3	– 200
6.	साहेबगंज	2	– 100
7.	गिरिडीह	1	– 50
	कुल	**17**	– **950**

कोए की क्रय झारक्राफ्ट द्वारा कृषकों से किया जाता है ताकि कृषकों को उचित मूल्य मिल सके। वर्ष 2008–09 में कोवो की खरीद में रू0 1,25,50,754/– व्यय किया गया। इसी तरह वर्ष 2009–10 में कोवों की क्रय में 3,09,35,838 रूपये व्यय हुआ।

(च) **आकर्षिणी, कुचाई–खरसावॉ प्रशिक्षण केन्द्र आमदा**

राज्य में रेशम आधारित पोस्ट ककुन कार्यकलापों के विकास में ख्याति प्राप्त संस्थानों का सहयोग लिया जा रहा है। इसके अन्तर्गत सरायकेला–खरसावॉ जिला के अन्तर्गत आमदा में निफ्ट के माध्यम से संचालित आकर्षिणी कुचाई, खरसावॉ प्रशिक्षण केन्द्र, आमदा में रेशम धागाकरण, वस्त्र बुनाई एवं Computer Aided Textiles Design (CATD) में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आकर्षिणी कुचाई–खरसावॉ प्रशिक्षण केन्द्र आमदा में प्रशिक्षत महिला सूत कातकों को रेशम धागाकरण में स्वरोजगार प्राप्त हो रहा है।

(छ) 2007–08 से यह संस्था NIFT कोलकाता द्वारा चलायी जा रही है। इसके लिए स्थापना एवं प्रशिक्षण व्यय राज्य सरकार वहन करती है एवं प्रशिक्षणार्थि का चयन भी करती है अब तक 3552 व्यक्ति प्रशिक्षित हो चुके हैं। लगभग 2000 महिलायें स्वरोजगार से जुड़ गई हैं।

(ज) National Institute of Fashion Technology का एक प्रशिक्षण संस्थान आदित्यपुर में स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गयी है।

(झ) देवघर में NID की शाखा खोलने का प्रस्ताव वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार को भेजा गया है।

15. कार्य योजना 2011–12

11वीं पंचवर्षीय योजना का वित्तीय वर्ष 2011–12 अंतिम वर्ष है। विभाग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने एवं राज्य के समग्र तथा त्वरित औद्योगिक विकास का लक्ष्य निर्धारित करते हुए निम्नांकित योजनाओं के संचालन का संकल्प लिया है :–

(i) **जिला उद्योग केन्द्र** : लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के विस्तार एवं विकास निमित्त जिला उद्योग केन्द्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। औद्योगिक नीति के कार्यान्वयन

की जिम्मेदारी जिला उद्योग केन्द्रों की ही है। वर्तमान में राज्य में 12 जिला उद्योग केन्द्र कार्यरत हैं। विभाग यह प्रयास कर रहा है कि राज्य के सभी 24 जिलों में जिला उद्योग केन्द्र कार्यालयों की स्थापना किया जाय। इसके लिए अतिधकांश जिलों में कार्यालय भवन निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष 2011–12 में इन सभी कार्यालयों में उपस्कर एवं उपकरण की आपूर्त्ति किया जाना है। राँची स्थित जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय परिसर में उद्योग भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय के साथ उद्योग विभाग के कई अन्य कार्यालय एक साथ कार्यरत होंगे। आगामी वित्तीय वर्ष में 1200 लघु औद्योगिक इकाईयों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही पी0एम0ई0जी0पी0 सहित कई अन्य योजनाओं का कार्यान्वयन जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा ही किया जाता है। इस निमित्त आगामी वित्तीय वर्ष 2011–12 में **169.00 लाख** रुपये के बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

(ii) **समेकित हस्तकरघा विकास योजना** : हस्तकरघा बुनकरों को आधारभूत सुविधा के साथ–साथ विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने एवं बुनकरों के कल्याणार्थ भारत सरकार द्वारा समेकित हस्तकरघा विकास योजना प्रारंभ की गयी है। जिसमें बुनकरों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अनुदान, विपणन, मार्केटिंग इन्सेंटिव, क्रेडिट कार्ड एवं कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का संचालन भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निदेश एवं मार्गदर्शन के आधार पर किया जाएगा। इस योजना में केन्द्रांश एवं राज्यांश का प्रतिशत 90–10 है। आगामी वित्तीय वर्ष 2011–12 में इस योजना के संचालन निमित्त राज्यांश एवं केन्द्रांश मद में क्रमशः 85.00 लाख रु0 एवं 740.00 लाख रु0 के बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

(iii) **विविध हस्तकरघा विकास योजना** : इस केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत बुनकरों के कल्याणार्थ बुनकर सेवा केन्द्र/आई0आई0टी0एच0 की स्थापना किया जाएगा। इस निमित्त आगामी वित्तीय वर्ष 2011–12 में इस योजना के संचालन निमित्त राज्यांश एवं केन्द्रांश मद में क्रमशः 1.00 लाख रु0 एवं 30.00 लाख रु0 के बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

(iv) **लघु उद्योगों के लिए कलस्टर विकास योजना** : यह लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित केन्द्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का उद्देश्य लघु औद्योगिक इकाइयों को कलस्टर के रुप में विकसित करने हेतु आधारभूत संरचना सृजित कर उनके उत्पाद के गुणवत्ता में सुधार के साथ–साथ उत्पादन में वृद्धि करना है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में कलस्टर मैपिंग रिपोर्ट निम्समें, हैदराबाद से तैयार करा लिया गया है। उक्त संस्थान ने 56 औद्योगिक कलस्टर समूहों को चिन्हित किया है।

आगामी वित्तीय वर्ष में आदित्यपुर ऑटो कलस्टर के विकास के साथ–साथ अन्य 5–7 छोटे–छोटे कलस्टरों के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस निमित्त आगामी वित्तीय वर्ष 2011–12 में इस योजना के संचालन निमित्त राज्यांश

एवं केन्द्रांश मद में क्रमशः 300.00 लाख रु0 एवं 50.00 लाख रु0 के बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

(v) **हस्तशिल्प का विकास** : हस्तशिल्प राज्य के ग्रामीण औद्योगिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। हस्तशिल्प उद्योगों के विकास एवं विस्तार से न सिर्फ ग्रामीण स्तर पर बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है बल्कि झारखण्ड राज्य के लोकप्रिय हस्तशिल्प उत्पादों का निर्यात कर विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है। वास्तव में हस्तशिल्प उद्योग के विकास के माध्यम से राज्य के उग्रवाद को भी नियंत्रित किया जा सकता है।

वर्तमान में राज्य में आठ हस्तशिल्प संसाधन सह विकास केन्द्र कार्यरत हैं। जिनके माध्यम से हस्तशिल्प प्रक्षेत्रों यथा– ट्राइबल ज्वेलरी, काथा स्टीच, बॉस क्राफ्ट, लेदर क्राफ्ट इत्यादि में प्रशिक्षण दिया जाता है। आगामी वित्तीय वर्ष में 1200 महिलाओं के साथ–साथ 760 व्यक्तियों को स्व–नियोजन हेतु प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हस्तशिल्प केन्द्रों के उन्नयन के साथ–साथ बाँस ट्रीटमेंट प्लान्ट एवं सी0एफ0सी0 की स्थापना का लक्ष्य है। इस निमित्त आगामी वित्तीय वर्ष 2011–12 में 250.00 लाख रुपये के बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

(vi) **हथकरघा विकास की योजना** : ग्रामीण स्तर पर व्यक्तियों के पलायन को रोकने में हथकरघा उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। हथकरघा का ग्रामीण स्तर पर कृषि के बाद द्वितीय स्थान है। हथकरघा प्रक्षेत्र को विकसित कर बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान किया जा सकता है। सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण स्तर पर हथकरघा बुनकरों को बुनियादी सुविधा उपलब्ध करायी जाय। इस उद्देश्य से झारक्राफ्ट की स्थापना की गयी है। झारक्राफ्ट के माध्यम से विपणन एवं तकनीकी सहायता बुनकरों को उपलब्ध कराया जाएगा। 25000 बुनकरों का स्वास्थ्य बीमा। 144 व्यक्तियों का स्वनियोजन हेतु बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से प्रशिक्षण। बुनकरों को उन्नत करघा, विपणन सुविधा एवं आधुनिक तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराया जाना है। आगामी वित्तीय वर्ष में बुनकर केन्द्रों के उन्नयन एवं हस्तकरघा प्रक्षेत्र में आधारभूत सुविधा के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस निमित्त आगामी वित्तीय वर्ष 2011–12 में 1500.00 लाख रुपये के बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

(vii) **रेशम का विकास** : 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में जहाँ रेशम उत्पादन में राज्य का देश में कहीं स्थान नहीं था, वहीं इस योजना के वर्तमान चतुर्थ वित्तीय वर्ष तक तसर रेशम उत्पादन में झारखण्ड देश के अग्रणी राज्यों में है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 700 मे0 टन तसर रेशम का उत्पादन हुआ है। आगामी वित्तीय वर्ष 2011–12 में 30.00 लाख बेसिड का रियरिंग, 5000 रेशम दूत एवं 10000 बीज कीटपालक लाभान्वित, 180.00 लाख वाणिज्कि रो0मु0च0 का उत्पादन, 90000 वाणिज्यिक कीटपालक लाभान्वित, 10.00 लाख स्थानीय कोकुन का क्रय जिससे 1000 स्थानीय रेशम कृषक एवं 50 रेशम दूत लाभान्वित होंगे। 5.00

लाख न्यूक्लियस रो0मु0च0 का रियरिंग जिससे 1500 न्यूक्लियस नाभगीय बीज कीटपालक लाभान्वित होंगे तथा 223.00 लाख न्यूक्लियस बीज कोए का क्रय किया जाएगा। राज्य में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रेशम खाद्य पौधे का पौधारोपण एवं 26 नये बीजागार भवन का निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा संचालित केन्द्रीय परियोजना निमित्त मैचिंग ग्रान्ट राज्य योजना अन्तर्गत दिया जाना है। आगामी वित्तीय वर्ष में 50,000 महिला रेशम उद्यमी को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देय होगा। इस निमित्त आगामी वित्तीय वर्ष 2011–12 में 7450.00 लाख रुपये के बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

(viii) **खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायता** : राज्य में खादी वस्त्रों के उत्पादन, इसके गुणवत्ता में सुधार, खादी वस्त्रों को लोकप्रिय बनाने एवं राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर राज्य के खादी उत्पादों के प्रचार एवं प्रसार के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई है। राज्य खादी बोर्ड द्वारा इस दिशा में निरंतर प्रयास किया जा रहा है। दिसम्बर 2010 में राँची में सरस मेले का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। जिसमें न सिर्फ राज्य के बल्कि देश के दूसरे राज्यों के खादी संस्थानों की भी भागीदारी रही। आगामी वित्तीय वर्ष में झारखण्ड राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के संचालन हेतु प्रबंधकीय अनुदान एवं भारत सरकार की MDA योजना के तहत खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट निमित्त सहायक अनुदान का व्यय राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित है। साथ–साथ उपलब्ध खादी बोर्ड के भूखण्डों पर जिला कार्यालय/बिक्री केन्द्र/प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जाएगी। इस निमित्त आगामी वित्तीय वर्ष 2011–12 में 600.00 लाख रुपये के बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

(ix) **डिजाईन डेवेलेपमेंट एवं ट्रेनिंग सेन्टर** : राज्य के युवाओं को विशेषकर अनुसूचित जाति के युवकों को प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस योजनान्तर्गत बुनाई रीलिंग स्पीनिंग/विविध हस्तशिल्प प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र/सी0एफ0सी0, बॉस शिल्प, चर्म शिल्पी, कृत्रिम ज्वेलरी प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र की स्थापना, रीलिंग स्पीनिंग के लिए सामान्य सुलभ सेवा केन्द्रों की स्थापना एवं औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हेतु डिजाईन डेवलपमेंट, 6870 व्यक्तियों का प्रशिक्षण पर प्रति प्रशिक्षु रु0 13000 से ज्यादा का व्यय प्रस्तावित है। देश में प्रचलित प्रशिक्षण curriculam एवं मानक मॉडल के आधार पर प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा। लाभुक की संख्या तथा चयन अनुश्रवण IIIrd पार्टी से कराया जाएगा।

इस निमित्त आगामी वित्तीय वर्ष 2011–12 में 936.00 लाख रुपये के बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

(x) **फुड/नॉलेज पार्क की स्थापना** : खूँटी में नॉलेज पार्क की स्थापना हेतु भू–अर्जन एवं आधारभूत संरचनाओं का विकास एवं अन्य कार्य निमित्त आगामी वित्तीय वर्ष 2011–12 में 100.00 लाख रुपये के बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

(xi) **सिंगल विण्डो सिस्टम (औद्योगिक सहायता केन्द्र)** : उद्यमियों को एक ही

पटल पर उद्योग स्थापना हेतु बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने निमित्त आगामी वित्तीय वर्ष 2011–12 में 20.00 लाख रुपये के बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

(xii) **उद्योग विहीन जिलों में ग्रोथ सेन्टर की स्थापना** : औद्योगिक रुप से पिछड़े जिलों के औद्योगिक विकास हेतु ग्रोथ सेन्टर की स्थापना का प्रस्ताव है। गुमला जिले में ग्रोथ सेन्टर की स्थापना निमित्त भू–अर्जन की कार्रवाई की जा रही है। आगामी वित्तीय वर्ष 2011–12 में गुमला, हजारीबाग एवं अन्य जिलों में ग्रोथ सेन्टर की स्थापना निमित्त भू–अर्जन निमित्त 10.00 लाख रु0 का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

(xiii) **अध्ययन भ्रमण एवं प्रशिक्षण** : विभागीय कर्मियों के कार्यकुशलता में सुधार हेतु मान्यता प्राप्त संस्थानों में देश/अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों में अध्ययन, भ्रमण एवं प्रशिक्षण निमित्त आगामी वित्तीय वर्ष 2011–12 में 10.00 लाख रुपये के बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

(xiv) **विभागीय योजनाओं का प्रचार–प्रसार** : पूँजीनिवेश को आकर्षित करने हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर गोष्ठियों एवं सेमिनारों का आयोजन तथा विभागीय योजनाओं का प्रचार–प्रसार एवं राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मेला एवं प्रदर्शनी तथा भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में राज्य की भागीदारी एवं राँची में उद्योग मेले का आयोजन इत्यादि निमित्त आगामी वित्तीय वर्ष 2011–12 में 400.00 लाख रुपये के बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

(xv) **अनुदान** : राज्य औद्योगिक नीति 2001 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य में औद्योगिक विकास के अभियान को तीव्र करने के उद्देश्य से उत्पादन में आयी नई औद्योगिक इकाईयों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन अनुदान देने का प्रस्ताव है। इस निमित्त वित्तीय 2011–12 में विभिन्न प्रोत्साहन अनुदान हेतु कुल 3879.00 लाख रुपये का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

(xvi) **उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार** : राज्य औद्योगिक नीति 2001 के अन्तर्गत राज्य के उद्योगों के कार्यों का प्रतिवर्ष वस्तुपरक मूल्यांकन के आधार पर निर्यात/सामाजिक सेवा/औद्योगिक प्रबंधन/प्रदूषण नियंत्रण एवं ऊर्जा संरक्षण इत्यादि में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत किए जाने का प्रावधान है। इस निमित्त वित्तीय वर्ष 2011–12 में 10.00 लाख रुपये का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

(xvii) **औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार** : राज्य के औद्योगिक विकास हेतु वर्तमान में चार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार कार्यरत हैं। विभाग द्वारा दुमका की औद्योगिक विकास हेतु संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार का गठन किया गया है। विभाग औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकारों में आधारभूत संरचना के निर्माण एवं प्राधिकारों के विस्तार हेतु भू–अर्जन की कार्रवाई कर रही है। आगामी वित्तीय वर्ष में पुराने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकारों में आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु 50 प्रतिशत तक की सहायता एवं संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार में आधारभूत संरचना हेतु भात–प्रतिशत सहायता तथा

प्रशासकीय भवन का निर्माण एवं राज्य में नये औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार हेतु भू–अर्जन एवं आधारभूत संरचना निमित्त शत–प्रतिशत सहायता हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2011–12 में 3000.00 लाख रुपये के बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

(xviii) **एसाइड योजना** : एसाइड योजनान्तर्गत राज्य में कार्यान्वित की जानेवाली योजनाओं यथा–एस0टी0पी0आई0, कन्वेशन सेंटर एवं अन्य निमित्त आगामी वित्तीय वर्ष 2011–12 में 200.00 लाख रुपये के बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

(xix) **सेन्ट्रल टूल रुम** : राँची एवं दुमका में स्थापित टूल रुम में आवासीय कॉलनियों का निर्माण एवं अन्य स्थानों पर संभाव्यता के आकलन के उपरान्त टूल रुम की स्थापना निमित्त आगामी वित्तीय वर्ष 2011–12 में 50.00 लाख रुपये के बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

(xx) **प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी एवं परामर्षी कार्य** : औद्योगिक विकास के लिए नए औद्योगिक क्षेत्र/पार्क तथा अन्य संभावित क्षेत्रों से संबंधित प्रतिवेदन तैयार कराने एवं प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा एवं मूल्यांकन आवश्यक है। अतएव प्रस्ताव तैयार कराने एवं प्राप्त प्रस्तावों की समीक्ष एवं मूल्यांकन हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में 30.00 लाख रुपये का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

(xxi) **गैर योजना स्कीमें** : उद्योग विभाग से संबंधित गैर योजना स्कीमों निमित्त वित्तीय वर्ष 2011–12 में 2870.45 लाख रु0 (अठाईस करोड़ सत्तर लाख पैंतालीस हजार रुपये) का बजट निम्नांकित विवरणी के अनुसार प्रस्तावित है।

क्र0	गैर योजना स्कीमों का नाम	राशि लाख रुपये में
1	2	3
1	सचिवालय स्थापना	203.66
2	हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय	85.78
3	हस्तकरघा विकास की योजना	67.15
4	हस्तशिल्प का विकास एवं शिल्प अनुसंधान संस्थान	332.62
5	रेशम का विकास	989.68
6	जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना	655.16
7	अधीक्षण	185.20
8	निदेशन	213.70
9	सांख्यिकी कोषांग का सुदृढ़ीकरण	57.37
10	शिल्पी प्रशिक्षण केन्द्र	22.75
11	औद्योगिक परियोजनाओं द्वारा विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	36.36
12	औद्योगिक समूहों की स्थापना	21.02
	योग	**2870.45**

उक्त के आधार पर माँग संख्या 23 के अन्तर्गत संलग्न परिशिष्ट ''क, ख एवं ग'' के अनुसार क्रमशः राज्य सम्पोषित योजनान्तर्गत 19000.00 लाख रुपये एवं केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना 820.00 लाख रुपये तथा गैर योजना स्कीमों अन्तर्गत 2870.45 लाख रु0 अर्थात कुल 22690. 45 लाख रु0 (दो अरब छब्बीस करोड़ नब्बे लाख पैंतालीस हजार रुपये) मात्र का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

KEAMS

परिशिष्ट "क"

झारखण्ड सरकार

उद्योग विभाग

बजट उपबंध (राज्य सम्पोषित योजना) 2011–12

(राशि लाख रुपये में)

क0	योजना का नाम	प्रस्तावित बजट उपबंध			
		OSP	TSP	SCSP	Total
1	2				
1	जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना	11.00	158.00	0	169.00
2	लघु उद्योगों के लिए कलस्टर विकास योजना	300.00	0	0	300.00
3	समेकित हस्तकरघा विकास योजना	85.00	0	0	85.00
4	विविध हस्तकरघा विकास की योजना	1.00	0	0	1.00
5	हस्तशिल्प का विकास	131.00	119.00	0	250.00
6	रेशम का विकास	3668.00	3782.00	0	7450.00
7	हथकरघा विकास की योजना	0	1500.00	0	1500.00
8	झारखण्ड राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायता	0	600.00	0	600.00
9	डिजाईन डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर	400.00	436.00	100.00	936.00
10	फुड/नॉलेज पार्क की स्थापना	100.00	0	0	100.00
11	सिंगल विण्डो सिस्टम	20.00	0	0	20.00
12	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार	700.00	2300.00	0	3000.00
13	उद्योग विहिन जिलों में ग्रोथ सेन्टर की स्थापना	10.00	0	0	10.00
14	विभागीय कर्मियों का अध्ययन भ्रमण एवं प्रशिक्षण	10.00	0	0	10.00
15	प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी एवं परामर्शी कार्य	30.00	0	0	30.00
16	विभागीय योजनाओं का प्रचार–प्रसार	400.00	0	0	400.00
17	वास्तविक वाणिज्यकर भुगतान के विरुद्ध पूंजीनिवेश प्रोत्साहन सबसिडी	250.00	1800.00	0	2050.00
18	पूँजीगत निवेश प्रोत्साहन अनुदान	750.00	750.00	0	1500.00
19	कैप्टिभ ऊर्जा उत्पादन अनुदान	10.00	10.00	0	20.00
20	सूद अनुदान	150.00	150.00	0	300.00
21	फिजिबिलिटी स्टडी कम प्रोजेक्ट रिर्पोट रिइम्बर्समेंट सबसिडी	0.50	0.50	0	1.00
22	प्रदूषण नियंत्रण उपकरण अनुदान	1.00	1.00	0	2.00
23	मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क में विमुक्ति	3.00	3.00	0	6.00
24	उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार	5.00	5.00	0	10.00
25	एसाइड योजना	200.00	0	0	200.00
26	सेन्ट्रल टूल रुम	0	50.00	0	50.00
	योग	**7235.50**	**11664.50**	**100.00**	**19000.00**

(एक अरब नब्बे करोड़ रुपये) मात्र

परिशिष्ट "ख"
झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग
बजट उपबंध (केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना) 2011–12

(राशि लाख रुपये में)

क्र0	योजना का नाम	प्रस्तावित बजट उपबंध
1	2	3
1	समेकित हस्तकरघा विकास योजना	740.00
2	विविध हस्तकरघा विकास योजना	30.00
3	लघु उद्योगों के लिए कलस्टर विकास की योजना	50.00
	योग	**820.00**

(आठ करोड़ बीस लाख रुपये) मात्र

परिशिष्ट "ग"
झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग
बजट उपबंध (गैर योजना स्कीम) 2011–12

(राशि लाख रुपये में)

क्र0	गैर योजना स्कीमों का नाम	राशि लाख रुपये में
1	2	3
1	सचिवालय स्थापना	203.66
2	हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय	85.78
3	हस्तकरघा विकास की योजना	67.15
4	हस्तशिल्प का विकास एवं शिल्प अनुसंधान संस्थान	332.62
5	रेशम का विकास	989.68
6	जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना	655.16
7	अधीक्षण	185.20
8	निदेशन	213.70
9	सांख्यिकी कोषांग का सुदृढ़ीकरण	57.37
10	शिल्पी प्रशिक्षण केन्द्र	22.75
11	औद्योगिक परियोजनाओं द्वारा विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	36.36
12	औद्योगिक समूहों की स्थापना	21.02
	योग	**2870.45**

(अठाइस करोड़ सत्तर लाख पैंतालीस हजार रुपये) मात्र

झारक्राफ्ट के उत्पाद

क्र0	प्रकार	उत्पादों की संख्या	उत्पाद
1	2	3	4
1	तसर	12	साड़ी, स्टोल, सलवार–कुर्त्ता, जैकेट/कोट, बेडसीट, कुशन एवं अन्य
2	कॉटन	12	साड़ी, स्टोल, सलवार–कुर्त्ता, जैकेट/कोट, बेडसीट, कुशन, दरी, चादर एवं अन्य
3	लीनेन	5	भार्ट, पैंट, कुर्त्ता एवं अन्य
4	ऊलेन	5	कम्बल, स्वेटर, शॉल, डोरमेट, कारपेट एवं अन्य
5	डोकरा	4	मोमेन्टो, डेकोरेटिव फ्रेम, ज्वेलरी एवं अन्य
6	जूट	5	बैग, फोल्डर, वॉल हैंगिंग, डोरमेट एवं अन्य
7	टेराकोटा	5	ज्वेलरी, फ्लावर पॉट, टी सेट एवं अन्य
8	पेपरमेसी	2	फ्लावर पॉट एवं डेकोरेटिव सामग्री
9	स्ट्रॉ	1	पेंटिग एवं फ्रेम
10	लेदर	11	फाईल, फोल्डर, लैपटॉप बैग, ज्वेलरी बॉक्स, डस्टबीन एवं अन्य
11	बैम्बू क्राफ्ट	13	कुर्सी, टेबल, स्टूल, सोफा सेट, झुला, डेकोरेटिव सामग्री एवं अन्य
12	ऊड क्राफ्ट	11	स्टैचू, ज्वेलरी बॉक्स, डेकोरेटिव सामग्री एवं अन्य
13	लाह	4	फ्लावर पॉट, पेन स्टैंड एवं अन्य
14	ग्रास मैट	5	परदा, वाल हैंगिंग एवं अन्य
15	स्टोन	1	ज्वेलरी

झारखण्ड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उत्पाद

क्र0	प्रकार	उत्पादों की संख्या	उत्पाद
1	2	3	4
1	रेशमी खादी	19	तसर, कटिया, अण्डी एवं मटका के शूर्टिंग– शर्टिंग, लेडिज शॉल, चादर, साड़ी एवं अन्य
2	कॉटन खादी	5	लूंगी, गमच्छा, धोती, शर्टिंग एवं अन्य
3	ग्रामोद्योग	1	शहद

झारखण्ड सरकार

उद्योग विभाग, नेपाल हाउस, राँची
फोन : 0651–2491844, 2490746, फैक्स : 0651–2491884